

पत्र सं०-

/डी०एल०आर०सी०/भूमि आवंटन/2021-22

दिनांक- 10/2021

विषय-

जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चित्तौर घाईसेन होत हुए अपर तलाई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.5225 है० वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण होने तथा उक्त निर्माण में आने वाली भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

उप जिलाधिकारी,
डोईवाला।

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-901/र०का०-2021 दिनांक 03 जुलाई 2021 एवं पत्रांक 239/एस०टी०-2021 दिनांक 05 जुलाई 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चित्तौर घाईसेन होत हुए अपर तलाई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.5225 है० वन भूमि लो०नि०वि० का हस्तान्तरण होने तथा उक्त निर्माण में आने वाली भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि आवंटन किये जाने हेतु ग्राम लवडाकोट तहसील डोईवाला के खाता संख्या 57 में खसरा नम्बर 260 में रक्बा 2.5050 है० एवं खसरा नम्बर 264 रक्बा 1.2590 है० में से 0.5400 है० कुल रक्बा 3.0450 है० भूमि श्रेणी 5-3-ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को प्रस्तावित किया गया है।

आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के कम में शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, राजस्व अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 17, दिसम्बर, 2012, शासनादेश संख्या 111/XXVII(7)50 (39)-2015 /2014-वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 दिनांक 09 जुलाई, 2015 तथा शासनादेश संख्या 1887/XVIII(II)/2015-18(169)/2015 दिनांक 30 जुलाई, 2015 एवं शासनादेश संख्या 496/18(2)/2020-09(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई 2020 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत ग्राम लवडाकोट तहसील डोईवाला के खाता संख्या 57 में खसरा नम्बर 260 में रक्बा 2.5050 है० एवं खसरा नम्बर 264 रक्बा 1.2590 है० में से 0.5400 है० कुल रक्बा 3.0450 है० भूमि श्रेणी 5-3-ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित/आवंटित किया जाता है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम दर्ज करते हुये, कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डॉ० आर० राजेश कुमार)
जिलाधिकारी
देहरादून

दिनांक-25.10.2021

प्रतिलिपि :- 1.प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2.अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर जिलाधिकारी(प्र०)
देहरादून